भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 450

सोमवार, 04 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

ई-श्रम लाभार्थियों को पीएमजेएवाई के लाभ

***450. श्री प्रदीप कुमार चौधरी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों के कल्याण हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का लाभ उक्त लाभार्थियों को प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उक्त लाभार्थियों को पीएमजेएवाई के लाभ दिए जाने का है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** ****

“ई-श्रम लाभार्थियों को पीएमजेएवाई के लाभ” के संबंध में श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा पूछे गए, दिनांक 04.04.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 450 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए अगस्त, 2021 में ई-श्रम पोर्टल प्रारम्भ किया। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कामगारों का एक गतिशील डेटाबेस रखना, सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की प्रदायगी को सुविधाजनक बनाना, लाभों की सुवाह्यता सुनिश्चित करना, एनसीएस, असीम और उद्यम पोर्टल से संबद्ध करके नौकरी की तलाश और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है।

दिनांक 30.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 27 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। 30 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, असंगठित कामगारों के राज्य-वार पंजीकरण का ब्यौरा अनुबंध में है।

असंगठित कामगारों के लिए ईश्रम/राष्ट्रीय डेटाबेस परियोजना पर वर्ष 2020-21 के दौरान 45.49 करोड़ रुपये जारी/खर्च किए गए तथा वर्ष 2021-22 के दौरान 255.86 करोड़ रुपये जारी/खर्च किए गए हैं।

सभी पंजीकृत कामगार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से एक वर्ष के लिए 2.0 लाख रुपये का निःशुल्क दुर्घटनावश मृत्यु या अपंगता बीमा कवर लाभ पाने के पात्र हैं।

(ख) से (घ): निर्धारित मानदंडों (शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय मानदंड और ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित मानदंड) के अनुसार पात्र और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011 के माध्यम से चिह्नित असंगठित कामगारों की कतिपय श्रेणियां पहले से ही आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) में शामिल हैं। दिनांक 29.03.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 17.9 करोड़ व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है और उन्हें आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं।

अनुबंध

"ई-श्रम लाभार्थियों को पीएमजेएवाई के लाभ" के संबंध में श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा पूछे गए, दिनांक 04.04.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 450 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 30.03.2022 की स्थिति के अनुसार किए गए राज्य-वार पंजीकरण	
राज्य	कुल पंजीकरण
उत्तर प्रदेश	8,26,03,141
बिहार	2,80,02,900
पश्चिम बंगाल	2,53,92,616
मध्य प्रदेश	1,55,96,322
ओडिशा	1,32,44,380
राजस्थान	1,18,88,366
महाराष्ट्र	1,16,45,195
झारखंड	89,20,010
गुजरात	81,68,028
छत्तीसगढ	78,80,079
तमिलनाडु	70,35,589
असम	65,40,068
कर्नाटक	60,03,740
केरल	58,22,360
पंजाब	53,95,623
हरियाणा	51,63,374
आंध्र प्रदेश	41,86,438
तेलंगाना	33,98,824
जम्मू और कश्मीर	32,06,621
दिल्ली	31,88,055
उत्तराखंड	29,34,930
हिमाचल प्रदेश	18,57,666
त्रिपुरा	8,15,278
मणिपुर	3,79,108
मेघालय	2,05,484
नागालैंड	2,05,435
पुदुचेरी	1,75,226
चंडीगढ़	1,71,604
अरुणाचल प्रदेश	84,849
दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव	71,920
मिजोरम	30,703
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	27,551
गोवा	23,043
लद्दाख	22,223
सिक्किम	12,173
लक्षद्वीप	750
कुल	**27,02,99,672**

****